

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-5330 श्री प्रताप ग्रेवाल सत्र फरवरी-मार्च, 2021

4. 1]

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 1983

879

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क्र. 2410-वस-2-83.—वृत्ति राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दशादि अनुसूची में विनिश्चित क्षेत्र अन्य प्राणियों की सुरक्षा, वृद्धि व विकास एवं पर्यावरण को दृष्टि में महत्व का है;

यहां बाइल्ल साईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दशादि गये राजस्व गांवों का सम्पूर्ण क्षेत्र सरदारपुर मध्यप्रदेश घोषित करता है:—

अनुसूची

मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 348.12 वर्ग कि. मी.

जिला—धार.

तहसील—सरदारपुर

ग्राम का नाम (1) क्षेत्रफल हेक्टर में (संपूर्ण ग्राम) (2)

1. गुमानपुरा	801.669
2. बिनरोड	2025.190
3. छडावाड़	2930.875
4. पिपारनी	2329.339
5. सेम्लिया	1704.907
6. केरिया	787.509
7. कर्नावाड़	1020.198
8. सियावाड़	491.688
9. धुलेट	3458.802
10. अमोदिया	2612.615
11. सोनगढ़	3174.311
12. महापुरा	2079.653
13. तिमयची	7217.509
14. भानगढ़	4178.314

योग .. 34,812.177

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा प्रादेशानुसार, जे. बी. लाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क्र. 2410-वस-2-83.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के धारा (3) के अनुसार में इस विभाग को अधिसूचना क्र. 2410-वस-2-83, दिनांक 4 जून 1983 का संघेखी अनुसूची राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा प्रादेशानुसार, जे. बी. लाल, उपसचिव.

Bhopal, the 4th June 1983

No. 2410, K-2-83.—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate significance for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment.

Now therefore in exercise of powers conferred by section 18(1) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) Government of Madhya Pradesh declares the area of entire revenue village specified in the Schedule below as "Sardarpur" Sanctuary.

SCHEDULE

District—Dhar.

Tahsil—Sardarpur

Area of Sanctuary 348.12 sq. k. m.

Details of area included

Dhar District

Sardarpur Tahsil

Name of village

Area in hectares (Entire village)

(1)	(2)
1. Gunanpura	801.669
2. Binrod	2025.190
3. Chadawad	2930.875
4. Piparni	2329.339
5. Semlia	1704.907
6. Keria	787.509
7. Karnawad	1020.198
8. Siyawad	491.688
9. Dhulet	3458.802
10. Amodia	2612.615
11. Songarh	3174.311
12. Mahapura	2079.653
13. Timaychi	7217.509
14. Bhangarh	4178.314

TOTAL 34,812.177

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, J. B. LAL, Dy. Secy.

the north western corner of 933P and north-eastern corner of 924, bank of Lath Nala up to north-eastern boundary of 927, northern boundary of 929, eastern boundary of 930, 934 north-eastern and western boundary of 931, north-eastern boundary of 930, eastern-northern and western boundary of both the part of Comptt. No. 932P, eastern boundary of 886 P, southern boundary of 887, western, southern, eastern and north-eastern boundary of 888, northern and western boundary of 887, northern boundary of 886P, north-eastern corner of 883P, eastern and northern boundary of 884P, northern boundary of 884P, western boundary of 883P, northern boundary of 898.

West.—Western boundary of 898, 899, 900 and Comptt. 910

South.—Boundary line of Raipur district.

East.—Eastern boundary of Comptt. 1008P, 984, 1009P, 980P, 975, 976P, 974, 977P, 973, 972, 971, 970, southern boundary of 968, western and southern boundary 978P, southern-eastern and northern boundary of 979P, eastern boundary of 967 up to Katangi Nala dam.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क्र. 15-7-83-दस-2.—चूंकि राज्य शासन का विचार है कि नीचे दर्शाए अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य प्राणियों की सुरक्षा, वृद्धि एवं विकास एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्व का है;

अतः पार्श्व लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53 संव 1972) की धारा 18 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार, मध्य-प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाए क्षेत्र को परमौर पक्षी को संरक्षण के लिए "सैलाना" प्रथमदरज्य घोषित करता है.

अनुसूची

भाग 1

जिला—सैलाना—तहसील—सैलाना—ग्राम—सैलाना

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1676	7.120
1685	0.800

(1)	(2)
1686	0.800
1697	0.800
1689	0.010
1690	0.010
1691	0.010
1692 "1 से 4 भाग"	9.690
1693	0.860
1694 "1 से 4 भाग"	8.080
1697 "1 से 17 भाग"	318.420
1702	7.480
1703	0.820
1695	1.080
1696	1.590

योग... 355.570 हेक्टर

भाग 2

तहसील—जाबरा, ग्राम—शेरपुर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
573 भाग	9.500
575 लानावा	6.119
576	0.809
577	2.023
57811	71.710

सिचार्ड विभाग तालाब का भाग रहित.

योग... 90.161 हेक्टर

भाग 3

वन मण्डल—हथौर, रेंज—सैलाना, जिला—रतलाम,
वनमण्डल—पुन्याखेड़ी.

क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
459	255.860
460	383.000
461	212.950

योग... 851.810

सीमा

उत्तर.—वनमण्डल पुन्याखेड़ी की कटी सीमा मुनारा क्रमांक 42 से मुनारा क्रमांक 53 तक.

पूर्व.—वनमण्डल पुन्याखेड़ी कटी सीमा मुनारा क्रमांक 53 से 65 तक.

दक्षिण.—वनमण्डल पुन्याखेड़ी कटी सीमा मुनारा क्रमांक 65 से 80 तक, एवं क्रमांक 459 की दक्षिण सीमा क्रमांक 80 से 449 तक.

पश्चिम.—वनमण्डल पुन्याखेड़ी की कटी सीमा मुनारा क्रमांक 459 से 510 तक एवं नाला जो मुनारा क्रमांक 510 से 42 मुनारा क्रमांक 42 तक जो क्रमांक 461 एवं 462 की बीच सीमा बनाता है.

कृषि क्षेत्रफल	(1)	(2)
भाग—विवादा	184.576 हेक्टर भाग 1	1691 ... 0.010
भाग—सेरपुर	90.161 हेक्टर भाग 2	1692 (part 1 to 4) 9.690
पुन्यायी की स्वयंसेवा	851.830 हेक्टर भाग 3	1693 ... 0.880
		1694 (Part 1 to 4) 8.080
		1697 ... 316.420
		(Part 1 to 171) 7.480
		1702 ... 0.820
		1703 ... 1.080
		1695 ... 1.310
		1696 ...
योग—1296.541 हेक्टर या 12.96 वर्ग कि.मी.		

(1)	(2)
1691	0.010
1692 (part 1 to 4)	9.690
1693	0.880
1694 (Part 1 to 4)	8.080
1697	316.420
(Part 1 to 171)	7.480
1702	0.820
1703	1.080
1695	1.310
1696	

राज्य प्रदेश के राज्यपाल की नाम से तथा प्राधिकारपूर्वक,
जे. सी. शर्मा, उपसचिव

बिोपक, दिनांक 24 जून 1983

Total... 354.576 hectares

उ 15-7-83-X-2—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अन्तर्गत (3) के अन्वये में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-7-83-उ-2, दिनांक 4 जून 1983 का अन्वये में राज्यपाल की अधिसूचना में राजस्वदायी प्रकाशित किया जाता है।

PART II

Tahsil—Jawda, Village—Sherpur

राज्य प्रदेश के राज्यपाल की नाम से तथा प्राधिकारपूर्वक,
जे. सी. शर्मा, उपसचिव

Biopak, the 4th June 1983

Khasra No. Area in hectares

573 (Part)	9.500
575 Tank	6.117
576	0.609
577	2.023
578/1	71.710 including the tank area.

Total 90.161 hectares

No. 15-7-83-X-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate significance for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment.

PART III

Forest Division.—Indore, Range Sailana. (District Ratlam). Forest Block—Puniya-kheri

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 18(1) of Wild Life protection Act, 1972. No 53 of 1972) Government of Madhya Pradesh declares the specified area in the schedule below as "Sailana" Sanctuary, specially for the protection of Horicans.

SCHEDULE

PART I

District—Ratlam, Tahsil—Sailana, Village—Sailana

Khasra No.	Area in hectares
(1)	(2)
1676	7.120
1685	0.800
1686	0.800
1687	0.300
1689	0.010
1699	0.010

Compt. No. Area in hectares

(1)	(2)
459	255.850
460	383.000
461	212.950

851.830 hectares

BOUNDARY

North.—Cut line of Puniya Khedi Forest Block from Pillar No. 42 to Pillar No. 53.

अनुभाग अधिकारी